

मध्यप्रदेश शासन  
गृह सामान्यविभाग  
मंत्रालय  
बल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्रमांक- एफ 4-1/2000/दो-स०३४

भोपाल, दिनांक 24.10.2000

प्रति,

राज्य शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र.  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
म.प्र.

विषय :- चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को वर्दों के लिये लगने वाले कपड़े की मात्रा।

संदर्भ :- गृह विभाग का ज्ञापन क्रमांक-4157/2ए/3, दिनांक 7/9/64.

उपर्युक्त ज्ञापन हारा चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक आयटम के लिए लगने वाले कपड़े की मात्रा दर्शाई गई थी। तत्समय 27 इंच अर्ज का कपड़ा प्रचलन में होने के कारण ग्रीष्मकालीन वर्दों के लिए 27 इंच अर्ज के कपड़े की मात्रा निर्धारित की गई थी। अब चूंकि 54 इंच अर्ज का कपड़ा प्रचलन में है। उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन संशोधित करते हुये ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन वर्दों के लिए कपड़े की

मात्रा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्रमांक	ग्रीष्मकालीन वर्दों	54" अर्ज का कपड़ा
1.	बन्द गले का कोट	1.60 मीटर
2.	पेन्ट इपतलून०४	1.20 मीटर
3.	गांधी टोपी	0.15 मीटर
4.	पेजामा	1.10 मीटर
5.	सलूका आधी आस्तीन	0.50 मीटर
क्रमांक	शीतकालीन वर्दों	54" अर्ज का कपड़ा
1.	बन्द गले का कोट	1.60 मीटर
2.	सलूका पूरी आस्तीन	1.00 मीटर

निरंतर... 20. पर

// 2 //

3. लाईनिंग कोट ४ अधा अस्तर ० ०. ७५ मीटर  
 4. सलूके के लिए ४ अधा अस्तर ० ०. ५० मीटर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

१९६४/१०५४

(संकेतिक चिन्ह)

पू० क्रमांक- एफ-४-१/२०००/दो-स०३०

भोपाल, दिनांक २४. १०. २०००

प्रतिलिपि:-

- १। नियंत्रक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर ।  
 २। राज्यपाल का सैनिक सचिव/ सचिव, म. प्र. भोपाल  
 ३। सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर.  
 ४। सचिव, म० प्र० विधानसभा सचिवालय, भोपाल.  
 ५। पंजीयक, स्थापना अधिकारी, लेखा अधिकारी, म. प्र. सचिवालय, भोपाल  
 को सूचनार्थ ।

२४/१२/८८

(संकेतिक चिन्ह)

//ओपी//२०१०००